(10)

/

यालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/हरदा/भू॰रा/2017/3340

पु0प्र0क0 :–

प्रस्तुति दिनॉक :–

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता :–संजय सिंह आ0 आनंदसिंह जाति राजपूत
निवासी गोंदागांव खुर्द तह0 टिमरनी जिला हरदा म0 प्र0

बनाम्

अनावेदक/उत्तरदाता :– जगदीश सिंह आ0 स्व0 ताराचंन्द्र राजपूत
निवासी गोंदागांव खुर्द तह0 टिमरनी जिला हरदा म0 प्र0

श्री जगदीश जैन आज द्वारा 28-8-17 को कोर्ट में प्रस्तुत किया
28-8-17

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के अ0 प्र0 क्रं0 40/ अपील/वर्ष 2014–15 ग्राम जामुनिया में पारित अंतिम आदेश दिनॉक 16/03/2017 जिसकी जानकारी दिनॉक 16.8.17 को प्राप्त होने से व प्रमाणित प्रति दिनॉक 23.8.17 को प्राप्त कर दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर यह पुनर्रिक्षण याचिका प्रस्तुत करता है।

//पुनरीक्षण के तथ्य//

/1/ यह कि उत्तरदाता के द्वारा श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय हरदा के प्र0 क्रं0 1/अ/6 वर्ष 2015–16 ग्राम जामुनिया में पारित आदेश दिनॉक 28/10/2014 से परिवेदित होकर एक अपील प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा बिना आधारों पर स्वीकार कर नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित कर गंभीर भूल की है पारित आदेश दिनॉक 16/03/2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

/2/ यह कि उत्तरदाता के द्वारा कलेक्टर महोदय हरदा के न्यायालय में अपनी ग्राम जामुनिया तह0 टिमरनी जिला ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./हरदा/भू.रा./2017/3340 संजय सिंह विरूद्ध जगदीश सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-10-2018 8.10.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. प्रकरण में दिनांक 27-09-2018 को आवेदक संजयसिंह के अभिभाषक श्री जगदीश जैन व अनावेदक जगदीश सिंह के अभिभाषक श्री अनुपम दुबे को धारा 5 के आवेदन पर सुना गया एवं अधीनस्थ आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के अपील प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2014-15 आदेश दिनांक 16-03-2017 का अवलोकन व प्रकरण पंजी देखी । 3. आयुक्त न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 16-03-2017 को पारित गैर निगरानीकर्ता जगदीश सिंह (अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी) की अपील स्वीकार कर तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी की भूमि का मौके पर रकबा व नक्शा में रकबा में अंतर है, जिस कारण से अपील स्वीकार कर नक्शा दुरस्ती की कार्यवाही की जाये । 4. उक्त आदेश 16-03-2017 को प्रथक से पारित किया गया है, जिसका उल्लेख 16-03-2017 की आदेश पंजिका को निगरानीकर्ता संजय सिंह (अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरवादी) के अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अभिभाषक श्री संदीप दुबे के द्वारा दिनांक 16-03-2017 को नोट किया है । 5. निगरानी कर्ता के द्वारा 16-03-2017 के आदेश (जिसे अधीनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता के द्वारा	

23-03-17 को नोट किया है) के विरूद्ध राजस्व मण्डल में 28-08-17 (अर्थात 5 माह बाद) को निगरानी प्रस्तुत की है ।

6. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने की समय-सीमा 60 दिवस निर्धारित की है । अतः प्रस्तुत निगरानी समय-सीमा बाह्य होने के कारण निगरानी आवेदन अमान्य (अग्राह्य) किया जाता है ।

7. आवेदक अभिभाषक सूचित हो ।

08/10/18
(आर.के. जैन)
सदस्य